# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

G.S.R. 285(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules in public interest, namely:-

- 1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,
  - i. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(ab) 'alternate use' means use of a material for a purpose other than for which it was conceived, which is beneficial because it promotes resource efficiency;";
  - after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(ga) 'energy recovery' means energy recovery from waste that is conversion of waste material into usable heat, electricity or fuel through a variety of processes including combustion, gasification, pyrolisation, anaerobic digestion and land fill gas recovery;".
- 3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), for the words "non-recyclable multilayered plastic if any", the words "multi-layered plastic which is non-recyclable or non-energy recoverable or with no alternate use" shall be substituted.
- 4. In the said rules, in rule 13, for the sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely: -
  - "(2) Every producer or brand-owner shall, for the purpose of registration or renewal of registration, make an application, in Form 1 to,-
  - (i) the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territory, if operating in one or two states or Union territories; or
  - (ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union Territories.".
- 5. In the said rules, the rule 15 shall be omitted.

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 320(E), dated the 18th March, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.31 12:47:34 +05'30'



### EXTRAORDINARY

भाग **Ⅱ—खण्ड 3—उप-खण्ड** (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

#### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

ਜਂ. 185] • No. 185] NEW DE

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/कैन्न 6, 1940 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 का, पूर्वोक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को, लोकहित में अभिमुक्त करने के पश्चात, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 3 में,
  - i खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा :-

1822 GJ/2018 (1)

"(क ख) 'अनुकित्पिक उपयोग' से किसी सामग्री का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उसकी परिकल्पना की गई थी, ऐसा उपयोग अभिप्रेत हैं, जो इसलिए फायदाप्रद है, क्योंकि इससे संसाधन कार्य कुशलता में अभिवृद्धि होती है।";

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(छ क)" 'ऊर्जा की पुन: प्राप्ति' से अपशिष्ट से ऊर्जा की पुन: प्राप्ति अभिप्रेत है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनके अंतर्गत दहन, गैसीयकरण, उत्ताप विच्छेदन (पाइरोलाइजेशन), निर्वात उपचारण (एनेरोबिक डाइजेशन) और खत्ते से गैस की पुन: प्राप्ति भी हैं, के माध्यम से अपशिष्ट माल का प्रयोग योग्य उष्मा, विद्युत या ईंधन में संपरिवर्तन किया जाना है:"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 9 के, उप नियम (3) में "पुन:चक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो" के स्थान पर, बहुसतहीय प्लास्टिक, जो गैर पुन:चक्रणीय हो या जिससे पुन: ऊर्जा प्राप्त न की जा सके, या जिसका कोई अनुकल्पिक उपयोग न हो" शब्द रखे जाएंगे।
- 🔩 उक्त नियमों के नियम 13 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात :-
  - "(2) प्रत्येक उत्पादक या ब्राण्ड स्वामी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के प्रयोजन के लिए प्ररूप 1 में,-
  - (i) संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील है; या
  - (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील हैं, को आवेदन करेगा।
- 🏂 उक्त नियमों के नियम 15 का लोप किया जायेगा।

[फा.सं. 17-2/2001-एचएसएमडी] रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में *संख्यांक* सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।